



गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय
(भारत की संसद के अधिनियम सं. 25, 2009 के तहत स्थापित)
CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
(Established by an Act of Parliament of India, No 25 of 2009)

F. No. 71-2/2023- रा.प्र./ 89

26/02/2024

परिपत्र संख्या - 21/रा.प्र.-2023-24

विषय: हिंदी में टिप्पण एवं प्रारूप लेखन विषय पर कार्यशाला।

संदर्भ: सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 21/02/2024 को अनुमोदित।

राजभाषा प्रकोष्ठ हिंदी के प्रचार-प्रसार और कार्यालय में इसके अधिकाधिक प्रयोग के लिए प्रयासरत है। इसी संदर्भ में, प्रकोष्ठ एक कार्यशाला का आयोजन कर रहा है जिसमें कार्मिकों को हिंदी में टिप्पण एवं प्रारूप लेखन विषय पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस कार्यशाला में उप-कुलसचिव स्तर तक के कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य है।

सभी संबंधित कर्मचारियों (संविदा कर्मचारियों सहित) से अनुरोध है कि 5 मार्च (मंगलवार) को दोपहर 03:00 बजे कांफ्रेंस हॉल, वी.एल.आर.सी., सेक्टर-29 में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाएँ।


यह परिपत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

डॉ. आ. पटेल
26/02/24

कुलसचिव (कार्यवाहक)

प्रति (ई-मेल द्वारा):

1. सभी अधिष्ठाता
2. छात्र कल्याण अधिष्ठाता
3. प्रोवोस्ट
4. प्रॉक्टर
5. वित्त अधिकारी (कार्यवाहक)
6. परीक्षा नियंता
7. सभी उप कुलसचिव एवं सहायक कुलसचिव
8. जनसंपर्क अधिकारी
9. आंतरिक कार्य विभाग
10. सभी अध्यक्ष/समन्वयक/विभागाध्यक्ष
11. सभी शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारी
12. आईसीटी विभाग- विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. आचार्य प्रभारी पुस्तकालय
14. सभी वार्डन
15. कुलपति सचिवालय- माननीय कुलपति के सूचनार्थ
16. सभी सूचना पट्ट, सेक्टर- 29 एवं 30
17. परिपत्र फाइल



सेक्टर-29, गांधीनगर-382030, फोन नं - 07923977407, फेक्स-07923260076
Sector-29, Gandhinagar, Phone No. 07923977407, Fax-07923260076
Email: registrar@cug.ac.in, website: www.cug.ac.in

